न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

पीठासीन अधिकारी, श्री बी.एल.मेहरड़ा, आर0ए0एस0

अपील संख्याः–509/2015 (2015/0034)/225/ किशनगढ़

1.रामदेव पुत्र स्व.श्री गणेश जाति राव भाट निवासी ग्राम सागरमाला तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ़ ।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 04.06.2015, प्रकरण संख्या 129/2014, उपखण्ड अधिकारी,रूपनगढ़

उपस्थितः–

1. श्री करतार सिंह चौधरी एड़वोकेट अपीलांट की ओर से।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित।

निर्णय

दिनांकः 22.10.2018

01. अपीलांट ने यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 129/2014 में पारित आदेश दिनांक 4.06.2015 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं।xx

02. प्रकरण में संक्षिप्त एवम् सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट वादी ने ग्राम सागरमाला तहसील किशनगढ़ हाल तहसील रूपनगढ़ की कृषि आराजी खसरा नम्बर 80/1 रकबा 5 बीघा तथा खसरा नम्बर 19 रकबा 1 बीघा का खातेदार घोषित करने हेतु राजस्व वाद अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया तथा उक्त प्रकरण अपीलांट /वादी की ओर से साक्ष्य पेश की जाकर प्रकरण वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी हेतु दिनांक 24.05.2011 से ही तारीख पेशी में चल रहा था इसी दौराने नवगठित उपखण्ड रूपनगढ़ के क्षैत्राधिकार का मामला होने से उक्त प्रकरण दिनांक 25.03.2014 को उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ को स्थानान्तरित किया गया। जहॉ दिनांक 05.06.2014 को उक्त प्रकरण प्रकरण को पंजीबद्ध कर प्रकरण की सुनवाई जारी थी। इसी दौराने उक्त पत्रावली राजस्व शिविर (लोक अदालत) मु.पींगलोद मे दिनांक 04.06.2015 को प्रस्तुत हुई, जहॉ अपीलांट/वादी उपस्थित हुआ जहॉ कैम्प प्रभारी द्वारा अपीलांट/वादी उपस्थित हुआ किन्तु अपीलांट/वादी को उक्त पत्रावली का राजस्व शिविर में निस्तारण नहीं होगा किन्तु अपीलांट/वादी का वाद दिनांक 04.06.2015 को खारिज कर दिया गया। न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकरी, रूपनगढ़ के आदेश दिनांक 04.06.2015 सें असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

03. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया। तत्पश्चात अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

04. विद्धान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण राजस्व शिविर (लोक अदालत) मु.पींगलौंद में दिनांक 04.06.2015 को लोक अदालत की भावना के अनुरूप निस्तारण किये जाने हेतु पेश किया गया। अपीलांट/वादी उपस्थित हुआ था तथा राज्य सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित न होने के कारण अपीलांट/वादी को अग्रिम कार्यवाही हेतु सूचित किये जाने बाबत् जानकारी दी थी परन्तु राजस्व शिविर प्रभारी ने पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी में होतें हुए भी बिना पक्षकारों को सुने मनमाने ढंग से विधि के प्रावधानों के विपरीत उक्त वाद पत्र को निस्तारण कर खारिज कर दिया। विधि प्रावधानों अनुसार सक्षम न्यायालय द्वारा अपीलांट/वादी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर पक्षकारान की बहस सुनने के पश्चात ही उक्त प्रकरण का निस्तारण किया जाना चाहिए था। अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.06.2015 की जानकारी अपीलांट/वादी को दिनांक 05.11.2015 को हुई तथा अपीलाधीन आदेश की नकल दिनांक 06.11.2015 को प्राप्त हुई अतः दिनांक 04.06.2015 से 04.11.2015 तक की अवधि कन्डोन किये जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जावें। अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट/वादी को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, जो विधि सम्मत नही हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.06.2015 को निरस्त किया जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावें।

05 रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने दौराने जवाब बहस में कथन किया कि विवादित आराजी वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है। अपीलांट/वादी उक्त भूमि पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज हैं इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने जा निर्णय पारित किया वह विधि सम्मत हैं । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज की जावें।

06. सर्वप्रथम हम प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते हैं। रेस्पोडेन्ट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं किया गया एवं ना ही उनके द्वारा काउन्टर शपथ पत्र पेश किया गया। प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कारणों पर विचार करने के उपरान्त न्यायहित में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता हैं तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती हैं।

07. .हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर बहस विद्धान अभिभाषक उभय पक्षकारान पर मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है कि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादित आराजी खसरा नम्बर 80/1 एवं खसरा नम्बर 19 वाकै ग्राम सागरमाला की खातेदार उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत् दावा पेश किया हैं। पत्रावली में सलंग्न नायब तहसीलदार द्वारा दिया गया जवाब में खसरा नम्बर 80/1 भू–संशोधन में उक्त खसरा नम्बर गंगासिंह पुत्र भैरू सिंह के नाम था तथा खसरा नम्बर 19 गैर मुमकिन बहाव हैं, जो प्रतिबन्धित हैं एवं प्राकृतिक बहाव (नाला) होने से कभी कोई कब्जा काश्त नहीं हुआ और ना ही कब्जा रहा बताया गया हैं। राजस्थान राज्य बनाम जीवा 1988 आर.आर.डी. पेज 14 में यह प्रतिपादित किया गया है कि केवल कब्ज के आधार पर अपीलांट/वादी को काश्तकार अथवा खातेदार काश्तकार नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार अपीलांट विवादित आराजी पर केवल अतिक्रमी था और अधीनस्थ न्यायालय ने वाद

का वाद चलने योग्य नहीं से खारिज किया हैं, जो विधि सम्मत हैं। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं प्रतीत नही होती हैं। फलतः अपील अपीलांट खारिज योग्य हैं।

08. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती हैं तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ का निर्णय दिनांक 04.06.2015 यथावत् रखा जाता हैं।

22/x/18

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर

09. आदेश आज दिनाक 22/x/18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

22/x/18

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर